

Ref.No. HIL/GP IV-5/ML/2018-19/06-80

Date: 10.06.2019

To,
The Collector (Mining Section)
Office of the Collector,
Raigarh,
District: Raigarh.
Chhattisgarh.



Dear Sir,

Sub: Revision of Mining Lease Boundary of Gare Palma-IV/5 coal block in Tehsil - Tamnar, District – Raigarh for coal of M/s Hindalco Industries Limited, in view of certified block boundaries by CMPDIL, Ministry of Coal

Ref: Letter no CMPDI/BD/C(886-A)/E-175692/I-4079 dated 03/07/2018

We request your kind attention to our application dated 11.07.17, on the captioned subject. We submit that in continuation to the certification of block boundaries, CMPDI has issued revised boundary certification vide the letter cited in Reference and enclosed for ready reference. In view of the said development, we submit our updated application for revision of mining lease for Gare Palma IV/5 for your kind consideration.

As you are aware that Gare Palma IV/5 coal mine was allocated to Hindalco Industries Limited, being successful bidder in the auction process conducted by Ministry of Coal, Government of India as per Coal Mines Special Provision Act, 2015. The mine was allocated vide the Vesting Order issued by Nominated Authority under the Act, on 23.03.2015. Prior to re-allocation, the mine was allocated to Monnet Ispat & Energy Limited (MIEL), which was deallocated pursuant to order of Hon'ble Supreme Court of India. The mine had commenced the production in April, 2016 after securing all statutory permissions and clearances.

We are pleased to inform you that the mine has also achieved the Peak Rated Capacity as per the Coal Mines Development and Production Agreement signed with Government of India, and Hindalco has paid revenue to the State exchequer as prescribed.

In view of the following facts in submitted in chronological order, the mining lease needs to be revised:

Hindalco Industries Limited

Gare Palma Mines (IV/4 & IV/5), Vill & Po: Milupara , Tehsil: Tamnar Dist: Raigarh- 496107 , Chhattisgarh
T: +91 7762 228212, Website : www.hindalco.com E mail : hindalco@adityabirla.com
Registered Office : Ahura Centre, 1st Floor, B Wing, Mahakali Caves Road Andheri (East) , Mumbai 400093, India
T: + 912266917000 | Fax: + 912266917001
Corporate ID No: L27020MH1958PLC011238



1. In accordance with the vesting order, mining lease over an area of 830.068 ha was granted to Hindalco Industries Limited vide letter no. 3-8/2015/12 dated 10th July 2015, and the same was executed vide letter no. 2038/kha. Li. – 2/ 2015 dated 20th October 2015. This mining lease boundary as per Vesting Order was the same as the mining lease earlier granted to the prior allottee.
2. Subsequently, following circulars/ notification were issued by Government of India, which are enclosed as **Annexure-1 (Collectively)**:
 - a. Circular no.- 34011 /(48)/2009-CPAM dated 15th July 2015 by Ministry of Coal, Government of India
 - b. Notification dated 7th September 2015 by CMPDIL, and
 - c. Circular no.- 104/28/2015/NA dated 13th October 2015 by Ministry of Coal, Government of India.

Vide these circulars, the boundaries of all the Coal blocks of Gare Palma Sector were revised. The circular also made it mandatory for all the allottees to get the certification done for their respective block boundaries by CMPDIL.

3. As compliance to the above, Hindalco Industries made application to CMPDIL for certification of boundary of Gare Palma IV/5. The certification of the block boundary of Gare Palma IV/5 coal mines was received from CMPDIL vide letter no. CMPDI/BD/C(886-A)/E-175692/I-4079 dated 03/07/2018. A copy of the certified block boundary is enclosed for your ready reference as **Annexure- 2**. The block boundary has been physically demarcated through DGPS survey by CMPDIL and necessary pillaring has also been done under supervision of CMPDIL.

in view of this revised certification by CMPDIL dated 03.07.18 we hereby submit our updated application for revision of mining lease for Gare Palma IV/5 for your kind consideration.

A perusal of the certified block boundary mentioned above reveal the following-

- a) Mining Lease granted to the prior allottee was 830.068 Ha. The same mining lease was allocated to Hindalco by 10.07.2015.
- b) The notification coal block boundaries of Gare Palma sector were done by Government of India vide letter 13.10.2015 (enclosed).
- c) As mentioned above, the certification of block boundary & demarcation of the same on the ground has been done by CMPDIL as per the circular of Government of India. This reveals that the area of the block is 797.655 ha. A perusal of block boundary and mining lease area reveals that certain area of the existing mining lease is now going out of the revised block boundary. Similarly, certain areas within the revised block boundary needs to be included in the existing mining lease.
- d) The area inside the revised block boundary, but, not a part of the existing mining lease measures 73.773 ha, needs to be included in the mining lease. The area which is within the existing mining lease boundary, and now out of the block boundary due to revision



of the same measures 106.186 ha, needs to be surrendered. As a result, the revised mining lease area will get reduced from present area of 830.068 Ha to 797.655 Ha, as illustrated below:

- a. Present mining lease area : 830.068 Ha
 - b. Area to be surrendered : 106.186 Ha
 - c. Area to be included : 73.773 Ha
 - d. Revised mining lease area : 797.655 Ha
- [(830.068-106.186+73.773) =797.655]

e) The details of the area for this revision of mining lease has been reconciled with the records of forest and land-revenue department of the state also.

A plan with following detail is enclosed as **Annexure-3** for your kind reference: -

- a) Existing Mining Lease boundary as per Vesting order dated 23.03.2015 (in Blue color),
- b) Revised Block Boundary as per certification of CMPDIL dated 03.07.2018 (in Red color),
- c) Area required to be included for revision of Mining Lease Boundary (in magenta hatch highlighting)
- d) Area required to be surrendered (with green hatch highlighting).

The details of existing mining lease (830.068 Ha), proposed revised Mining Lease (797.655 Ha), area to be included (73.773 Ha) and area to be surrendered (106.186 Ha) for Gare Palma IV/5 coal mine are tabulated in **Table- 1, 2, 3 & 4** respectively.

Table-1: Land Details of the Existing Mining Lease of Gare Palma IV/5 coal mine (In Ha)

Type	Land category	Name of the Villages					Total
		Banjikhol	Lamdarha	Kondkel	Miliupara	Sarasmal	
Revenue Land	Non-tribal Pvt. Land	0	0.13	69.728	92.621	0	162.479
	Tribal Pvt. Land	23.03	83.721	122.645	17.845	0	247.241
	Govt. Land	3.98	47.22	22.891	5.584	0	79.675
	Sub Total	27.01	131.071	215.264	116.05	0	489.395
Forest Land	Revenue Forest Land	6.27	25.46	6.508	13.175	0	51.413
	Comp. No. 782						31.12
	Comp. No. 783						16.86
	Comp. No. 784						135.22
	Comp. No. 785						0
	Comp. No. 722						41.56
	Comp. No. 788						64.5
	Sub Total						340.673
Grand Total						830.068	

Table-2: Land Details of the Proposed Revision of Mining Lease of Gare Palma IV/5 coal mine (as per certification of block boundary by CMPDIL) (in Ha)

Type	Land category	Name of the Villages					Total
		Banjikhol	Lamdarha	Kondkel	Miliupara	Sarasmal	
Revenue Land	Non-tribal Pvt. Land	0	0.26	71.318	32.123	0	103.701
	Tribal Pvt. Land	21.549	82.976	142.003	13.877	0.684	261.089
	Govt. Land	10.096	76.129	19.981	6.929	0	113.135
	Sub Total	31.645	159.365	233.302	52.929	0.684	477.925
Forest Land	Revenue Forest Land	0	0.113	3.494	0	0	3.607
	Comp. No. 782						13.129
	Comp. No. 784						156.748
	Comp. No. 785						4.399
	Comp. No. 722						53.011
	Comp. No. 788						88.836
	Sub Total						319.73
Grand Total						797.655	

Table-3: Land Details of the new area to be included for Revision of Mining Lease of Gare Palma IV/5 coal mine (as per certification of block boundary by CMPDIL) (in Ha)

Type	Land category	Name of the Villages					Total
		Banjikhol	Lamdarha	Kondkel	Miliupara	Sarasmal	
Revenue Land	Non-tribal Pvt. Land	0	0	17.71	0.24	0	17.95
	Tribal Pvt. Land	0.103	0.573	5.119	0.002	0.684	6.481
	Govt. Land	0.047	14.09	0	2.117	0	16.254
	Sub Total	0.15	14.663	22.829	2.359	0.684	40.685
Forest Land	Revenue Forest Land	0	0	1.128	0	0	1.128
	Comp. No. 782						6.033
	Comp. No. 784						21.528
	Comp. No. 785						4.399
	Comp. No. 722						0
	Comp. No. 788						0
	Sub Total						33.088
Grand Total						73.773	

Table-4: Land Details of the area to be surrendered for Revision of Mining Lease of Gare Palma IV/5 coal mine (as per certification of block boundary by CMPDIL) (in Ha)

Type	Land category	Name of the Villages					Total
		Banjikhol	Lamdarha	Kondkel	Miliupara	Sarasmal	
Revenue Land	Non-tribal Pvt. Land	0.0	0	0.331	43.651	0	43.982
	Tribal Pvt. Land	1.944	1.54	0.852	7.941	0	12.277
	Govt. Land	0.201	1.202	0.213	7.07	0	8.686
	Sub Total	2.145	2.742	1.396	58.662	0	64.945
Forest Land	Revenue Forest Land	0	0	0.357	0	0	0.357
	Comp. No. 783						16.86
	Comp. No. 782						24.024
	Comp. No. 784						0
	Comp. No. 785						0
	Comp. No. 722						0
	Comp. No. 788						0
Sub Total						41.241	
Grand Total						106.186	

2

Hence, to comply with the revised mine boundary, we humbly request you to kindly revise the mining lease boundary in accordance with the certified block boundary.

In case any further clarification is required on this matter please feel free to contact us.

Thanking you,

Yours Sincerely,
For Hindalco Industries Limited



(Authorised Signatory)
Gare Palma IV/5 Coal Mine

Copy to-

- a) Nominated Authority, Ministry of Coal, Government of India, New Delhi
- b) Secretary, Mineral Resource Department, Raipur, Chattisgarh
- c) The Director, Department of Geology and Mining, Government of Chattisgarh, Raipur
- d) Dy Director (MA), Raigarh, Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर-492002

क्रमांक एफ 3-8/2015/12
प्रति,

रायपुर, दिनांक जुलाई, 2015

कलेक्टर,
जिला रायगढ़
(छत्तीसगढ़)

विषय :- जिला रायगढ़, तहसील तमनार स्थित कोल ब्लॉक गारेपेलमा-IV/5 पर स्वीकृत रकबा 829.82 हेक्टर पर खनिज कोयला का खनिजपट्टा-मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड।

—0—

मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के जिला रायगढ़, तहसील तमनार स्थित कोल ब्लॉक गारेपेलमा-IV/5 के रकबा 829.82 हेक्टर क्षेत्र पर खनिज कोयला का खनिजपट्टा 30 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 04.04.2015, संचालनालय मौमिकी तथा खनिकर्म, रायपुर द्वारा राज्य शासन के निर्णय हेतु प्रेषित किया गया है।

2/ जिला रायगढ़, तहसील तमनार स्थित प्रश्नाधीन कोल ब्लॉक गारेपेलमा-IV/5 रकबा 829.82 हेक्टर पूर्व में मेसर्स मोनेट इरपात एण्ड एनर्जी लिमिटेड को भारत सरकार, कोयला मंत्रालय द्वारा आवंटित होने के फलस्वरूप, इसी क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा उक्त कंपनी को आदेश क्रमांक एफ 3-34/1998/12, दिनांक 10.05.2002 द्वारा खनिजपट्टा स्वीकृत किया गया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उक्त कोल ब्लॉक के आवंटन को निरस्त किया जाकर नीलामी के माध्यम से आवंटन उपरांत मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को आवंटित किया गया है।

3/ भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी वेस्टिंग आदेश क्रमांक 104/13/2015/NA, दिनांक 23 मार्च 2015 अनुसार Nominated Authority (constituted under section 6 of the Coal Mines(Special Provisions) Second Ordinance, 2014) द्वारा उच्चतम बोली के आधार पर मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को जिला रायगढ़, तहसील तमनार स्थित केप्टिव कोल ब्लॉक गारे पेलमा IV/5 आवंटित किया गया है। इस कोल ब्लॉक से उत्पादित कोयले का उपयोग आंबटिती कंपनी मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा जिला-संबलपुर(ओडिशा) स्थित अपने निम्नानुसार दो पावर प्रोजेक्ट में किया जायेगा:-

Name of specified and use plant	Adress	Configurati on	Capacity	Coal Entitlement
Captive Power Plant of Aditya Aluminium Project	Lapanga Distt. Sambalpur Odisha	6 X150 MW	900 MW	171.43 MT
Captive Power Plant of Hirakund Complex	Hirakud, Distt. Sambalpur Odisha	4X100 MW 1x67.5MW	467.5 MW	89.81 MT

4/ नीलामी के माध्यम से आवंटित कोल ब्लॉक्स में अबाध रूप से कोयला का उत्पादन सुनिश्चित किये जाने के लिये कोल ब्लॉक्स के लिये नीलामी के पूर्व में प्राप्त विभिन्न सम्मतियों एवं अनुमतियों के संबंध में अधिनियम एवं नियमों में निम्नानुसार प्रावधान किये गये हैं :-

THE COAL MINES (SPECIAL PROVISIONS) ACT, 2015

6(3)(d) recording and mutating incorporeal rights of whatsoever nature including, consents, permissions, permits, approvals, grants, registrations;

8(4)(c) any statutory licence, permit, permission, approval or consent required to undertake coal mining operations in Schedule I coal mines if already issued to the prior allottee

4.2

COAL MINES (SPECIAL PROVISIONS) RULES, 2014.

7. Powers and duties of the nominated authority.-

2(d) inform the relevant Central authorities and State authorities to record and mutate incorporeal rights of whatsoever nature including, of consents, permissions, permits, approvals, grants, registrations;

4.3

भारत सरकार द्वारा जारी वेस्टिंग आर्डर दिनांक 23.03.2015 के पैरा 1(a) में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है - all the rights, title and interest of the prior allottee in and over the land and mine infrastructure free from all encumbrances;

5/

भारत सरकार, कोयला मंत्रालय के उपरोक्त वेस्टिंग आदेश के परिप्रेक्ष्य में मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा आवेदित क्षेत्र को टोपोशीट क्रमांक 64 एन/8 एवं 1:4000 स्केल ग्राम नक्शा में चिन्हित कर खान एवं खनिज(विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत खनिपट्टा की स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन पत्र में खनिपट्टा हेतु कुल रकबा 829.82 हेक्टर होना दर्शाया गया है। कंपनी द्वारा प्रस्तुत खनिपट्टा आवेदन की कड़िका XI(c) अनुसार आवेदित कोल ब्लॉक के को-आर्डिनेट्स अन्तर्गत कलेक्टर रायगढ़ द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन क्रमांक 605/खलि-2/2015 दिनांक 5.5.2015 अनुसार कोल ब्लॉक गारेपेलमा IV/5, के पूर्व में स्वीकृत खनिपट्टा में ग्राम बांजीखोल, लमदरहा, कोडकैल एवं मिलूपारा सहित कुल 04 ग्राम समाहित है, का विवरण दर्शाया गया है :-

(हेक्टर में)

क्र.	आवेदित/ पूर्व स्वीकृत ग्राम	निजी(कंपनी द्वारा कय/ अधिपत्य भूमि) एवं (गैर आदिवासी भूमि)	शासकीय भूमि एवं निस्तार पत्रक में दर्ज भूमि	निजी (आदिवासी) भूमि	वन्धुमि	योग	कुल उत्खनित क्षेत्र	शेष उत्खनित क्षेत्र
1	बांजीखोल	-	10.25	23.030	-	33.280	24.181	9.099
2	लमदरहा	0.130	72.68	83.721	-	156.531	43.494	113.037
3	कोडकैल	69.728	29.399	122.645	-	221.772	205.776	15.996
4	मिलूपारा	92.621	18.759	17.845	-	129.225	1.804	127.421
	योग	162.479	131.088	247.241	-	540.808	275.255	265.553
						वन्धुमि		
5	कम्पा नं 788	-	-	-	64.500	64.500	48.375	16.125
6	कम्पा नं 722	-	-	-	41.560	41.560	41.560	-
7	कम्पा नं 784	-	-	-	135.22	135.22	101.415	33.805
8	कम्पा नं 782	-	-	-	31.120	31.120	-	31.120
9	कम्पा नं 781	-	-	-	16.860	16.860	-	16.860
	योग	-	-	-	289.260	289.260	191.350	97.910

6/ वेस्टिंग आदेश में उल्लेखित को-आर्डिनेट्स, आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तुत खनिपट्टा आवेदन में उल्लेखित को-आर्डिनेट्स एवं पूर्व आर्बिटी कंपनी मेसर्स मोनेट इस्थाप एण्ड एनर्जी को गारेपेलमा-IV/5 कोल ब्लॉक के स्वीकृत खनिपट्टा क्षेत्र का नक्शे के परीक्षण से यह पाया गया कि मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा आवेदित क्षेत्र, कोल मंत्रालय के वेस्टिंग आर्डर में उल्लेखित को-आर्डिनेट्स से पृथक है। साथ ही वेस्टिंग आर्डर में उल्लेखित को-आर्डिनेट्स में गारेपेलमा-IV/5 कोल ब्लॉक के स्वीकृत खनिपट्टा क्षेत्र का आंशिक क्षेत्र(दक्षिणी भाग) समाहित नहीं किया गया है।

7/ उपरोक्त पैरा-06 के संबंध में मार्गदर्शन हेतु विभागीय पत्र दिनांक 23.05.2015 द्वारा भारत सरकार कोयला मंत्रालय को लेख किया गया कि आर्बिटी कंपनियों को संबंधित कोल ब्लॉक्स के किस क्षेत्र का खनिपट्टा स्वीकृति हेतु आदेश प्रसारित किया जाए ?

8/ उपर्युक्त के संबंध में मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा पत्र दिनांक 29.06.2015 प्रस्तुत करते हुए भारत सरकार कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक F.No. 104/13/2015/NA, दिनांक 29.06.2015 जिसमें वेस्टिंग आदेश दिनांक 23.03.2015 के परिशिष्ट-1 के पार्ट-A में संशोधित को-ऑर्डिनेट्स की जानकारी देते हुए खनिपट्टा स्वीकृति हेतु निम्नानुसार अनुरोध किया गया-

8.1 वेस्टिंग आदेश पार्ट-A में दर्शित यथा संशोधित कोऑर्डिनेट्स -

Latitude	22° 08' 09" N & 22° 10' 53" N
Longitude	83° 30' 11" E & 83° 33' 47" E

8.2 Further, the Mining Lease area as per the land schedule (Which was granted to prior allottee) and for which we have also applied for is lying within the area bounded by the coordinates mentioned in the geological report and revised vesting order issued by Ministry of Coal dated 29th June 2015.

9/ नीलामी के माध्यम से आवंटित कोल ब्लॉकों पर खनिपट्टा स्वीकृति की अवधि के संबंध में नार्मीनेटेड आर्थारिटी, कोल मंत्रालय, भारत सरकार से विभागीय सचिव द्वारा की गई चर्चा पर कोल मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 12.05.2015 द्वारा निम्नानुसार अवगत कराया गया है :-

.....it appears that a fresh mining lease is to be granted to the successful bidder in accordance with the provisions of Rule 22 of the MCR. It is clarified that Rule 37 is not applicable in such cases.

10/ उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन एतद्वारा मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में समग्र विचारोपरांत खनिज कोयला का खनिपट्टा निम्नानुसार अन्य शर्तों एवं विवरण के तहत स्वीकृत करता है :-

- 10.1 आवेदक कंपनी का नाम एवं पता - मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
फ्लैट सेंचुरी भवन, 3रां फ्लोर,
डॉ० एनी बेसेन्ट रोड, मुंबई-400030
- 10.2 स्वीकृत क्षेत्र का विवरण - जिला रायगढ़, तहसील तमनार स्थित कोल ब्लॉक गारेपेलमा IV/5, रकबा 829.82 हेक्टर भूमि (निम्नलिखित को-ऑर्डिनेट्स के अन्तर्गत पैरा-5 की तालिका में दर्शित भूमि विवरण अनुसार क्षेत्र)
22° 08' 09" N & 22° 10' 53" N
83° 30' 11" E & 83° 33' 47" E
- 10.3 खनिज का नाम - कोयला
- 10.4 स्वीकृत अवधि - 30 वर्ष
- 10.5 डी०जी०पी०एस० से सर्वेक्षण/सीमांकन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही इसकी जानकारी संबंधित जिला कलेक्टर, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, रायपुर एवं इस विभाग को भी दी जाय।
- 10.6 भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी वेस्टिंग आर्डर क्रमांक 104/13/2015/NA, दिनांक 23.03.2015, संशोधित आदेश दिनांक 29.06.2015, कोल माइन डेव्लपमेंट प्रोडक्शन एग्रीमेन्ट दिनांक 02.03.2015 तथा कोयला खनन संकिया से संबंधित समस्त अनुसंगी अधिनियम/नियम अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के सम्यक पालन की शर्त का पालन करना होगा।
- 10.7 भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक जे-11015/8/98IA-II(M) दिनांक 31.08.2000 में उल्लेखित शर्तों का पालन करना होगा।
- 10.8 राज्य शासन द्वारा आदेश क्रमांक एफ 3-34/1998/12, दिनांक 10.05.2002 में अधिरोपित यथा लागू अन्य शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

- 10.9 भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा कोल ब्लॉक आवंटन हेतु जारी आदेश, अनुमोदित मायनिंग प्लान तथा पूर्वानुमोदन प्रदान करते समय जोड़ी गई शर्तों को खनिपट्टा अनुबंध का भाग मानते हुए शामिल किया जाएगा।
- 10.10 आवेदक संस्थान द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की भूमि पर खनन कार्य छत्तीसगढ़ मू-राजस्व संहिता, 1959 के प्रावधानों के अधीन नियमानुसार सरफेस साईट प्राप्त करने के बाद ही किया जाएगा।
- 10.11 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत जारी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के तहत सक्षम प्राधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनिपट्टा क्षेत्र पर कार्य प्रारंभ करने की अनुमति संबंधित कलेक्टर द्वारा प्रदान की जाएगी।
- 10.12 खान एवं खनिज(विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957, यथा संशोधित अधिनियम, 2015 एवं खनिज रियायत नियम, 1960 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- 10.13 खनिपट्टा हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत नियमानुसार जो भी अनुमति प्राप्त किए जाने की आवश्यकता हो, तत्संबंधी अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने के उपरांत ही कार्य प्रारंभ किया जाय।
- 11/ मेसर्स हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को आदेश के पैरा-03 में उल्लेखित भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली के कोल ब्लॉक वेस्टिंग आदेश दिनांक 23.03.2015 में उल्लेखित शर्त अनुसार खनिपट्टा क्षेत्र से उत्पादित खनिज कोयला का उपयोग अनिवार्यतः प्रस्तावित परियोजना में ही किया जाएगा।
- 12/ यदि मेसर्स हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को उपर्युक्त शर्तें मान्य हो तो कलेक्टर, जिला रायगढ़ से नियमानुसार जमानत राशि जमा कराकर आदेश प्राप्त होने के 06 माह के भीतर अनुबंध का निष्पादन किया जाय तथा उक्त खनिपट्टा अनुबंध में उपरोक्तानुसार समस्त शर्तों का समावेश अतिरिक्त कडिका के तौर पर किया जाए एवं अनुबंध की एक प्रति भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली के साथ-साथ इस विभाग को भी भेजी जाय।
- 13/ अनुबंध निष्पादन के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मेसर्स हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड पर खनिज राजस्व की कोई राशि बकाया तो नहीं है।
- 14/ खनिपट्टा क्षेत्र में कार्य करने के लिए मू-प्रवेश हेतु अनुमति वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल रायगढ़, जिला रायगढ़ से तत्संबंधी अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही प्रदान की जाएगी।
- संलग्न- नक्शा, लैण्ड डिटेल्स एवं कोयला मंत्रालय के आदेश की छायाप्रति

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(संजय कनकने)

अवर सचिव


छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

// 5 //

पू० क्रमांक एफ 3-8/2015/12,
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक जुलाई, 2015
19 JUL 2015

1. सचिव, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली की ओर उनके पत्र क्रमांक 104/13/2015-NA, दिनांक 23.03.2015 एवं आदेश दिनांक 20.06.2015 के संदर्भ में सूचनार्थ
 2. सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय(एफ0सी0डिवीजन), पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली
 3. अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक, सेण्ट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिजाईन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, गोण्डवाना हाऊस, कॉक रोड़, रांची(झारखण्ड)
 4. कार्यालय कोल कंट्रोलर, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नंबर-1 काऊंसिल हाऊस स्ट्रीट, कोलकाता-700001 (पश्चिम बंगाल)
 5. डायरेक्टर आफ माईन्स एण्ड सेफ्टी, सीपत रोड़, एसईसीएल लिमिटेड परिसर, बिलासपुर
 6. संचालक, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, रोहिणीपुरम, रायपुर
 7. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
 8. अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध), नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम, 1980, अरण्य भवन, मेडिकल कालेज रोड़, रायपुर
 9. वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, जिला बिलासपुर(छत्तीसगढ़)
 10. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल रायगढ़, जिला रायगढ़(छत्तीसगढ़)
 11. मेसर्स डिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, प्लेट संचुरी भवन, 3रा फ्लोर, डॉ० एनी बेसेन्ट रोड़, मुंबई-400030 (महाराष्ट्र)
 12. गार्ड फाईल रजिस्टर
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

4